

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-: अधिसूचना :-

संचिका संख्या-6/वि0पत्रा0-24-48/2026

पटना, दिनांक:-

सुश्री शौर्या कीर्ति राज्य-कर सहायक आयुक्त (68वीं बैच), मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-1, मुजफ्फरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 23.06.2026 से 26.08.2026 तक 65 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 236 के तहत दिनांक 27.08.2026 से 31.08.2026 तक 05 दिनों का असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त सुश्री कीर्ति के अवकाश लेखा में (65-65=00) शून्य दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-48/2026 3355

पटना, दिनांक:-01/09/26

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/एच0 आर0 एम0 एस0 (एडमीन), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/अंचल प्रभारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-1, मुजफ्फरपुर को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर उक्त अवकाश के पश्चात् शेष आदेयता की अद्यतन प्रविष्टि कर लेंगे/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/सुश्री शौर्या कीर्ति राज्य-कर सहायक आयुक्त (68वीं बैच), मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-1, मुजफ्फरपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन अवकाश उपभोग के उपरान्त विभाग को उपलब्ध करायेंगी।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।